# राज्य शासन के आदेश

# राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 17 जन 2013

क्र. एफ 01-01-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, देवास जिले की तहसील बागली की सीमाएं, उसमें से, तहसील बागली के राजस्व वृत्त उदयनगर के पटवारी हल्का क्रमांक 38 से 81 (कुल 44 पटवारी हल्के) अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है, तथा राजस्व वत्त उदयनगर के पटवारी हल्का क्रमांक 38 से 81 (कुल 44 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील उदयनगर का सुजन करती है, जिसमें कुल 44 पटवारी हल्के होंगे तथा 99 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय उदयनगर में होगा.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

# भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

पु. क्र. एफ 01-01-2013-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ 01-01-2013-सात-शा. 6, दिनांक 17 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार, आर. के चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

## Bhopal, the 17th June 2013

No.F-1-1-2013-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Bagli Tehsil of district Dewas from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 38 to 81 (total 44 Halkas) of Revenue Circle, Udaynagar of Tehsil Bagli and creates a new Tehsil Udaynagar comprising of Patwari Halka No. 38 to 81 (Total 44 Halkas) of Revenue Circle, Udaynagar, in which the total Patwari Halkas shall be 44 and Village shall be 99. The headquarter of the said Tehsil shall be at Udaynagar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. K. CHATURVEDI, Principal Secy. भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

एफ. क्र. 15-25-2013-सात-6.--मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

# अनुसूची

तहसीर	न : शुजालपुर	जिला : शाजापुर
क्र.	ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1	01. मूल ग्राम—अवन्तिपुरा 02. नवीन ग्राम—गिगलाखेड़ी प.ह.नं. 60.	अधीक्षक, भू–अभिलेख, (नियमित) जिला शाजापुर
2	<ul><li>01. मूल ग्राम—मगरोला</li><li>02. नवीन ग्राम—मायापुर</li><li>प.ह.नं. 08.</li></ul>	
3	<ul><li>01. मूल ग्राम—रायपुर</li><li>02. नवीन ग्राम—खेड़ा बोल्दा</li></ul>	

# तहसील : शाजापुर

जिला : शाजापुर 01. मूल ग्राम-पिन्दोनिया अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) 02. नवीन ग्राम—खेड़ा पिन्दोनिया जिला शाजापुर. प.ह.नं. 42.

01. मूल ग्राम—खेड़ा 02. नवीन ग्राम—खेड़ा पहाड़

प.ह.नं. 40.

प.ह.नं. 07.

# तहसील: मोमन बड़ोदिया

जिला : शाजापुर अधीक्षक, भू-अभिलेख,

01. मुल ग्राम—दुधाना (नियमित) जिला शाजापुर. 02. नवीन ग्राम—चक दुधाना प.ह.नं. 27.

01. मूल ग्राम-मोहना 02. नवीन ग्राम—बनबोर प.ह.नं. 03.

(1) (2) (3)

- 8 01. मूल ग्राम—चौमा अधीक्षक, भू-अभिलेख,
  - 02. नवीन ग्राम—चौमा डाक बंगला (नियमित)
  - 03. नवीन ग्राम—नया चौमा जिला शाजापुर. प.ह.नं. 06.

# तहसील : सुसनेर

जिला : शाजापुर

- 9 01. मूल ग्राम—सोयतखुर्द अधीक्षक, भू-अभिलेख,
  - 02. नवीन ग्राम—अमानपुरा (नियमित) जिला शाजापुर.
  - 03. नवीन ग्राम—बिकपुराप.ह.नं. 11.

## तहसील: कालापीपल

जिला : शाजापुर

- 10 01. मूल ग्राम—बेहरावल अधीक्षक, भू-अभिलेख,
  - 02. नबीन ग्राम—सुरतीपुरा (नियमित) जिला शाजापुर. प.ह.नं. 14.

## तहसील : आगर

जिला : शाजापुर

- 11 01. मूल ग्राम—बाजना अधीक्षक, भू-अभिलेख,
  - 02. नवीन ग्राम—बाजना का खेड़ा (नियमित) प.ह.नं. 28. जिला शाजापुर.
- 12 01. मूल ग्राम—फतेहपुर मेढकी
  - 02. नवीन ग्राम—मानाखेरी प.ह.नं. 28.
  - 13 01. मूल ग्राम—हड़ाई
    - 02. नवीन ग्राम—कबीर खेड़ा प.ह.नं. 13.
  - 14 01. मूल ग्राम—पालड़ा
    - 02. नवीन ग्राम—सुल्तानपुरा
    - 03. नवीन ग्राम—बुढ़ाडूंगर (लाला का खेड़ा) प.ह.नं. 22.

# तहसील : गुलाना

जिला : शाजापुर

- 15 01. मूल ग्राम—सुन्दरसी अधीक्षक, भू-अभिलेख,
  - 02. नवीन ग्राम—भेरूपुरा (नियमित)
  - 03. नवीन ग्राम—रतनपुरा जिला शाजापुर.04. नवीन ग्राम—इंगरपुरा
  - 05. नवीन ग्राम—कल्याणपुरा
  - 06. नवीन ग्राम—हापाखेड़ा प.ह.नं. 34.

(1) (2)

(3)

तहसील : बड़ोद जिला : शाजापुर

- 16 01. मूल ग्राम—बरखेड़ी बड़ौद अधीक्षक, भू-अभिलेख,
  - 02. नवीन ग्राम—बरखेड़ी खुर्द (नियमित) जिला शाजापुर. प.ह.नं. 09.
- 17 01. मूल ग्राम—खेड़ा नरेला
  - 02. नवीन ग्राम—खेड़ा चौहान प.ह.नं. 13.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

## भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. एफ 15-25-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-25-2013-सात-6, दिनांक 12 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

### Bhopal, the 12th June 2013

F. No. 15-25-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

#### **SCHEDULE**

## Tahsil: Shujalpur

District: Shajapur

- S. No. Name of original Designation of the Officer village authorized to prepare record of rights
  - (1) (2) (3) 1 01. Org. Vill.—Avantipura Superintendent of Land
    - 02. New Vill.—Giglakhedi Records (permanent), P.H.No.—60. District—Shajapur.
  - 2 01. Org. Vill.—Magrola
    - 02. New Vill.—Mayapur P.H.No.—08.
  - 3 01. Org. Vill.—Raipur
    - 02. New Vill.—Kheda Bolda P.H.No.—07.

(1)	(2)	(3)	(1) (2)		
Tahsil : Shajapur		District : Shajapur	Tahsil : Gulana		
4	01. Org. Vill.—Pindonia 02. New Vill.—Kheda (Pindonia) P.H.No.—42.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.	<ul> <li>01. Org. Vill.—Sundersi</li> <li>02. New Vill.—Bherupura</li> <li>03. New Vill.—Dungra</li> <li>04. New Vill.—Kalyanpura</li> <li>05. New Vill.—Hapakheda</li> </ul>		
5	<ul><li>01. Org. Vill.—Kheda</li><li>02. New Vill.—Kheda Pah</li><li>P.H.No.—40.</li></ul>	ad	P.H.No.—34.  Tahsil: Barod		
Tahs	il : Moman Badodiya	District : Shajapur	16 01. Org. Vill.—Barkhedi Barod		
6	<ul><li>01. Org. Vill.—Dudhana</li><li>02. New Vill.—Chak Duhana</li></ul>	Superintendent of Land Records (permanent),	02. New Vill.—Barkhedi Khurd P.H.No.—09.		
7	P.H.No.—27.  01. Org. Vill.—Mohna  02. New Vill.—Banbor	District—Shajapur.	<ul><li>17 01. Org. Vill.—Kheda Naro</li><li>02. New Vill.—Kheda Chol</li><li>P.H.No.—14.</li></ul>		
	P.H.No.—03.		By order and in the nan		
8	<ul><li>01. Org. Vill.—Chauma</li><li>02. New Vill.—Chauma D</li><li>03. New Vill.—Naya Cha</li></ul>		ASHO भोपाल, दिनांक 12		
	P.H.No.—06.				
Tahs	<ul><li>il: Susner</li><li>01. Org. Vill.—Soyatkhur</li><li>02. New Vill.—Amanpur</li><li>03. New Vill.—Bikpura</li><li>P.H.No.—11.</li></ul>	District: Shajapur  d Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.	एफ. क्र. 15-26-2013-सात-6.— 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की ध को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नि अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित म नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लि		
Tahs	il : Kalapipal	District : Shajapur	अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख		
10	<ul><li>01. Org. Vill.—Behrawal</li><li>02. New Vill.—Surtipura</li><li>P.H.No.—14.</li></ul>	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.	अनुसूची तहसील : उदयपुरा		
Tahsil : Agar		District : Shajapur	क्र. ग्राम का नाम एवं		
11	01. Org. Vill.—Bajana 02. New Vill.—Bajana ka Khed P.H.No.—28.	Superintendent of Land a Records (permanent), District—Shajapur.	क्र. ग्राम का गाम एव प. ह. नं.		
12	<ul><li>O1. Org. Vill.—Fatehpur Me</li><li>O2. New Vill.—Manakher</li><li>P.H.No.—28.</li></ul>		(1) (2) 1 01. मूल ग्राम—पड़राई		
13	01. Org. Vill.—Hadie 02. New Vill.—Kabirkhed	da	02. नवीन ग्राम—बूढ़ा प.ह.नं. 69.		
	P.H.No.—13.		तहसील : बेगमगंज		
14	<ul><li>01. Org. Vill.—Palda</li><li>02. New Vill.—Sultanpur</li><li>03. New Vill.—Budaduga</li></ul>		2 01. मूल ग्राम—सुनवाह 02. नवीन ग्राम—गोरखी प.ह.नं. 55.		

(Lala ka Kheda) P.H.No.—22.

(3)

# District: Shajapur

Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.

## District: Shajapur

- Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.
- ola han

me of the Governor of Madhya Pradesh, OK GUPTA, Addl. Secy.

# जून 2013

–मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता धारा 108 में निहित शक्तियों नदेश देती है कि नीचे दी गई मूल राजस्व ग्राम एवं उसके लए कॉलम (3) में वर्णित तैयार किया जावे:-

तहसीर	न : उ	<b>उदयपु</b> रा	जिला : रायसेन
क्र.		ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)		(2)	(3)
1		मूल ग्राम—पड़राई नवीन ग्राम—बूढ़ा प.ह.नं. 69.	अधीक्षक, भू–अभिलेख, (नियमित) जिला रायसेन.
तहसी	ल : व	बेगमगं <b>ज</b>	जिला : रायसेन
2		मूल ग्राम—सुनवाह नवीन ग्राम—गोरखी प.ह.नं. 55.	अधीक्षक, भू–अभिलेख, (नियमित) जिला रायसेन.

(2) (3)(1)जिला : रायंसेन तहसील : बाड़ी

अधीक्षक, भ-अभिलेख, 01. मूल ग्राम-गाजीखेडी 02. नवीन ग्राम—सिलगोना टोला (नियमित) जिला रायसेन. प.ह.नं. 29.

# तहसील : सिलवानी

जिला: रायसेन

अधीक्षक, भू-अभिलेख, 01. मल ग्राम—तीरथपर (नियमित) जिला रायसेन. 02. नवीन ग्राम—रम्पुरा दाखली प.ह.नं. 02.

# तहसील : बाड़ी

जिला : रायसेन

अधीक्षक, भ-अभिलेख, 01. मल ग्राम-शाहपुर (नियमित) जिला रायसेन. 02. नवीन ग्राम—मादाटोला

03. नवीन ग्राम-भगवंतपुरा प.ह.नं. 13.

01. मूल ग्राम—मुशकाबाद

02. नवीन ग्राम-शक्तिटोला प.ह.नं. 08.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गप्ता, अपर सचिव.

भोपाल. दिनांक 12 जुन 2013

क्र. एफ 15-26-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-26-2013-सात-6, दिनांक 12 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

> > Bhopal, the 12th June 2013

F. No. 15-26-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

## **SCHEDULE**

# Tahsil: Udaypura

District: Raisen

Designation of the Officer Name of original S. No. authorized to prepare village record of rights (2) (3) (1) Superintendent of Land

01. Org. Vill.—Padarai Records (Regular), 02. New Vill.-Buda District—Raisen. P.H.No.--69.

(2) (1)

## Tahsil: Begamganj

District: Raisen

(3)

01. Org. Vill.—Sunwaha 02 New Vill.—Gorkhi

P.H.No.--55.

Superintendent of Land Records (Regular), District—Raisen.

## Tahsil: Badi

District: Raisen

01. Org. Vill.—Ganji Khedi Superintendent of Land 02. New Vill.—Silgona Tola Records (Regular),

P.H.No.—29.

District-Raisen.

## Tahsil: Silwani

District: Raisen

01. Org. Vill.—Tirathpur 02. New Vill.—Rampura Dakhli Records (Regular), P.H.No.--02.

Superintendent of Land District—Raisen.

## Tahsil: Raisen

District: Raisen

Superintendent of Land 01. Org. Vill.—Shahpur

Records (Regular), 02. New Vill.-Madatola

03. New Vill.—Bhagvantpur District—Raisen. P.H.No.—13.

01. Org. Vill.--Mushkabad

02. New Vill.—Shaktitola P.H.No.—08.

> By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

# विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 26), राज्य शासन, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला पिता श्री राम सुफल शुक्ला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतदुद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इलाहाबाद है. उसकी जन्मतिथि 01 अक्टूबर, 1981 है.

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 60), राज्य शासन. श्री चन्द्रशेखर राठौर पिता श्री नंदराम राठौर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर)